अनुदान संख्या 14 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 14 - DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-		1742,53,00	224,08,23	-1518,44,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1518,71,42
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	19,85,00	26,62,00	25,64,11	-97,89
पूरक	Supplementary	6,77,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				97,88

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित की गई राशि (₹151871.42 लाख) ₹151844.77 लाख की समग्र बचतों से अधिक थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	15672.00	..	..	..
पु.	R.	-15672.00			

Notes and comments

1. In the revenue section of grant, the amount surrendered (₹151871.42 lakhs) exceeded the overall savings of ₹151844.77 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3456"	Major Head "3456"				
नागरिक आपूर्ति	Civil Supplies				
मू.	O.	148622.00	12794.33	12821.78	+27.45
पु.	R.	-135827.67			

(I) छह शीर्षों के अंतर्गत ₹15672.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा जिसमें से ₹15510.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "नागरिक आपूर्ति – निर्देशन और प्रशासन" मे अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध थे :–

(I) Provision of ₹15672.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹15510.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Civil Supplies - Direction and Administration" under the following heads:-

(का) "उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" – ₹510.00 लाख – उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों के पुनर्विनियोग के कारण।

(A) "Consumer Protection Cell" - ₹510.00 lakhs- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹15000.00 लाख – कार्पस में निधियों की उपलब्धता के चलते संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती करने के कारण।

(B) "Price Stabilization Fund" - ₹15000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage owing to availability of funds in the corpus.

(II) मुख्य शीर्ष "3456" – "निर्देशन और प्रशासन" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(II) Under Major Head "3456" - "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads :-

(का) "उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग" – ₹503.38 लाख की बचत (₹3704.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Consumer Disputes Redressal Commission" - saving of ₹503.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3704.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "मूल्य स्थिरीकरण निधि" – ₹134999.00 लाख की

(B) "Price Stabilization Fund" - saving of

बचत (₹135000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्पस में निधियों की उपलब्धता के चलते संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने से हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, समग्र बचतें (₹97.89 लाख) मार्च, 2023 में लिए गए ₹677.00 लाख के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत और कुल संस्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

(I) ₹400.00 लाख का प्रावधान (₹82.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित दो शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

3. एक शीर्ष के अंतर्गत ₹330.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो कुल प्रावधान का 46 प्रतिशत था।

4. उपभोक्ता कल्याण निधि :–

उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क और साल्ट अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाये गए नियमों के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि सृजित की गई थी। जो निधि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत विनिर्माताओं को वापस नहीं की जानी है, वह इस निधि में जमा की जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि को 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किया गया था। बाद में, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर नियमों को अपेक्षाकृत और अधिक व्यापक आधार प्रदान करने के लिए नियमों को 27 जनवरी, 1994 को और अधिक स्शोधित किया गया। बाद में, 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को नियमों में परिवर्तन किए गए। यह निधि राजस्व विभाग द्वारा सृजित की गई है, किंतु इसे उपभोक्ताओं के कल्याण को बढावा देने और संरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए और देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वावजनिक

₹134999.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹135000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to availability of funds in the corpus.

2. In the capital section of the grant, the overall savings (₹97.89 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of ₹677.00 lakhs obtained in March, 2023 and 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following heads:-

(I) Provision of ₹400.00 lakhs (including supplementary grant of ₹82.00 lakhs) remained wholly unutilised under two heads.

3. Under one head excess of ₹330.00 lakhs occurred constituting 46 percent of the total sanctioned provision.

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilising the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the welfare of consumers and

वितरण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।

strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

वर्ष 2022–23 में इन निधियों का लेखा निम्न अनुसार है:–

The Account of the Fund for 2022-23 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	344,50,28
प्राप्तियां	Receipts	24,90,24
भुगतान	Payments	37,00,00
बकाया शेष	Closing Balance	332,40,52